संख्या-14/2017/268/22-4-17-48(2)/10

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 मार्च, 2017

विषय- जिला कारागार, कानपुर नगर में टाइप-4 का 01 नग, टाइप-3 के 04 नग एवं टाइप-2 के 12 नग आवासों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5936/नम-4/148, दिनांक-27 फरवरी, 2017 के संदर्भ में एवं मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-2178/22-4-2011-48(2)/10, दिनांक 22-12-2011 तथा पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1187/22-4-16-48(2)/10, दिनांक 20-12-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के माध्यम से विषयांकित निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत मूल/पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 77.00 लाख की व्यवस्था शासनादेश संख्या-199(1)/22-4-17-48(2)/10,दिनांक-23 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, कानपुर नगर में टाइप-4 का 01 नग, टाइप-3 के 04 नग एवं टाइप-2 के 12 नग आवासों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 106.98 लाख में से पुनर्विनियोग द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 77,00,000/-(रूपया सतहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए कार्य दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 22.12.2011 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 20.12.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01- सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 14/2017/268(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in